वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

परिपत्र सं० 434

No. 5-1(3)/2008-PD

Dated 21st October, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Director/Heads of all
National Labs./Instts of CSIR

Sub.:- References to CSIR Hqs. from Laboratories/Institutes on service matters where Powers have been delegated to Directors-instructions thereof.

Sir,

I am directed to state that despite delegation of powers to Directors to take decisions at Laboratory/Institute level and the policy guidelines issued by CSIR, large number of references are being received at CSIR Hqrs. from the Laboratory/Institute under the signature of AOs/COAs on service matters. In order to reduce references to CSIR Hqrs., DG has desired that in future, before making any reference to CSIR, the matter should be examined by the Administration and Finance in the Laboratory/Institute in accordance with the instructions issued by CSIR/Govt. of India from time to time and try to resolve issues at laboratory level wherever powers have been delegated to Directors. Further, DG, CSIR has desired that the following instruction may scrupulously be followed by the Laboratory/Institute:-

- Any reference to CSIR Hqrs. should be made under the signature of Director with detailed reason/justification for making such reference and the reason for not taking a decision at Lab. level.

- Staff/Officers should also be asked to desist from making direct representations to higher authorities in service matters and follow CSIR Grievance Redressal System, as already notified by CSIR from time to time.

- No case of age/qualification relaxation in the case of S&T staff, specially in the case of Scientists, Group-IV(1) & (2), should be referred to CSIR Hqrs., and recruitment should be made strictly as per the provisions contained in the CSIR Service/Recruitment Rules, however, relaxation in age to SC/ST/OBC candidates etc. will be applicable as per the Govt. of India instructions issued from time to time.

- The Sixth CPC recommendations, in the case of CSIR administrative and technical staff, may be implemented in accordance with the instructions issued by CSIR vide its Circular dated 4-10-2008 and the Govt. of India notification/orders already endorsed to Labs. Wherever, specific designation is not mentioned in CSIR Circular dated 4-10-2008, specially of staff belonging to Isolated category/canteen, they may be placed in the corresponding pay scales, based on the adoption of pay scales in identical cases of isolated cadre, other than the scales adopted in the case of Raj Bhasha Staff. Any reference seeking clarification should be sent under Director's signature only, after examining the issue at Lab. level and indicating reasons for making such reference.

- As regards anomaly created due to the merger of few scales, thereby requiring changes in the Recruitment and Assessment Promotion Rules, DG, CSIR has

contd....

constituted a Committee under the Chairmanship of Chairman, RAB. Any change in the Assessment Promotion Rules based on the recommendations of the Committee, will be effective prospectively from 1-1-2009 or the date from which GB's approval is obtained.

- DG, CSIR, vide his e-mail dated 4-10-2008 to Directors, has already addressed the issue of grant of some monetary incentive in the form of additional increments to Group-II and III employees having higher qualification, like Ph.D./ME/M.Tech. etc. and directed that all direct recruitment to the posts of Asstt.Gr.III and I (Gen/F&A/S&P) and Jr. Stenos. and Sr. Stenos. may be kept in abeyance, pending finalization of Recruitment Rules for recruitment of staff at the level of Executive Assistant in the Administrative Cadres, as such, any matter/representation related to these issues may not be forwarded to CSIR Hqrs. till a final decision on these issues are taken and notified with the approval of the competent authority.

The above instructions may please be brought to the notice of all concerned for information and compliance.

Yours faithfully,

21/X/08

(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to:-

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.
2. Sr. Dy. FA/Dy. FA/Sr. F&AO/F&AO of all Labs./Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. US & PPS to JS (Admin.)
5. PS to FA, CSIR
6. P.A. to CVO, CSIR
7. Legal Adviser, CSIR
8. Under Secretary (CO)/Deputy Secretary (Complex)
9. Head, URDIP/IPMD/HRDC/RDPD/TNBD/ISTADS
10. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
11. Heads of RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi
12. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Indian Institute of Toxicological Research, Post Box No.80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001
13. Head, IT Division with the request to make this circular available in the website.

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAI RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

परिपत्र सं. 434

सं. 5-1(3)/2008-पीडी

दिनांक: 21 .10.2008

प्रेषक/From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में/To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय : निदेशकों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सेवा मामलों के संबंध में प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा सीएसआईआर मुख्यालय को भेजे गए पत्र-तत्संबंधी अनुदेश

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रयोगशाला/संस्थान स्तर पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने और सीएसआईआर द्वारा तदविषयक नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाने के बावजूद सेवा मामलों पर प्रयोगशालों/संस्थानों के प्रशासन अधिकारियों/प्रशासन नियंत्रकों के हस्ताक्षर से सीएसआईआर मुख्यालय में अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं। सीएसआईआर मुख्यालय को भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या को कम करने के लिए महानिदेशक ने इच्छा व्यक्त की है कि भविष्य में सीएसआईआर मुख्यालय को कोई भी पत्र भेजने से पहले प्रयोगशाला/संस्थान के प्रशासन तथा वित्त द्वारा सीएसआईआर/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार ऐसे मामले की जांच की जानी चाहिए और जिन मामलों में शक्तियों का प्रत्यायोजन निदेशकों को किया गया है वहां प्रयोगशाला स्तर पर इन मुद्दों का समाधान करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक ने इच्छा व्यक्त की है कि प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा निम्नांकित अनुदेशों का अतिसावधानी से पालन किया जाए :-

- सीएसआईआर मुख्यालय को भेजे जाने वाले किसी भी पत्र पर निदेशक के हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही ऐसे पत्र भेजने का विस्तृत कारण/औचित्य और प्रयोगशाला स्तर पर इस संबंध में निर्णय न लिए जाने का कारण भी दिए जाने चाहिए।
- स्टाफ/अधिकारियों को सेवा मामलों के संबंध में उच्चतर प्राधिकारियों को सीधे अभ्यावेदन न भेजने तथा सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर पहले से अधिसूचित सीएसआईआर शिकायत निवारण प्रणाली का अनुपालन करने के लिए भी कहा जाए।
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्टाफ, विशेष रूप से वैज्ञानिक समूह-IV(1) एवं (2) के मामले में आयु/अर्हता में छूट से संबंधित कोई भी मामला सीएसआईआर मुख्यालय को न भेजा जाए तथा इन पदों पर भर्ती सीएसआईआर सेवा/भर्ती नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार कड़ाई से की जाए। तथापि, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों आदि को आयु में छूट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार दी जाएगी।
- सीएसआईआर के प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ के मामले में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सीएसआईआर के दिनांक 4.10.2008 के परिपत्र द्वारा जारी अनुदेशों तथा प्रयोगशालाओं को पहले से ही पृष्ठांकित भारत सरकार की अधिसूचना/आदेशों के अनुसार लागू की जाएं। जहां कहीं भी सीएसआईआर के दिनांक 4.10.2008 के परिपत्र में किसी विशिष्ट पदनाम, विशेष रूप से

एकाकी श्रेणी/कैंटीन से संबंधित स्टाफ, का उल्लेख नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों में राजभाषा स्टाफ के मामले में अपनाए गए वेतनमानों को छोड़ कर एकाकी संवर्ग के समान मामलों में अपनाए गए वेतनमानों के आधार पर उन्हें तदनुरूप वेतनमानों में रखा जाए। ऐसे मामलों पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण मांगने संबंधी कोई भी पत्र प्रयोगशाला स्तर पर उस मामले की जांच करने के बाद ऐसा पत्र भेजने के कारणों सहित सिर्फ निदेशक के हस्ताक्षर से ही भेजा जाए।

- कुछ वेतनमानों के विलय के कारण हुई असंगति, जिसके फलस्वरूप भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति नियमावली में परिवर्तन करना अपेक्षित है, के संबंध में महानिदेशक, सीएसआईआर ने अध्यक्ष, आरएबी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल्यांकन पदोन्नति नियमावली में किया जाने वाला कोई भी परिवर्तन दिनांक 1.1.2009 से उत्तरव्यापी प्रभाव से अथवा इस संबंध में प्राप्त शासी निकाय के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।
- महानिदेशक, सीएसआईआर ने निदेशकों को भेजे गए अपने दिनांक 4.10.2008 के ई-मेल द्वारा पीएच.डी/एम.ई./एम.टेक आदि जैसी उच्चतर अर्हता रखने वाले समूह-II और III के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के रूप में कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने संबंधी मामले का पहले ही समाधान कर दिया है तथा यह निदेश दिया है कि सहायक ग्रेड-III एवं I (सा./वि. एवं ले./भ. एवं क्रय) और कनिष्ठ एवं वरिष्ठ आशुलिपिकों के पदों पर सभी सीधी भर्तियों को, प्रशासनिक संवर्गों में कार्यपालक सहायक के स्तर पर स्टाफ की भर्ती हेतु भर्ती नियमावली को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रास्थगित रखा जाए। अंतः इन मुद्दों से संबंधित किसी मामले/अभ्यावेदन को इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय लिए जाने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उस निर्णय को अधिसूचित किए जाने तक सीएसआईआर मुख्यालय को अग्रेषित न किया जाए।

कृपया उपर्युक्त अनुदेश को सूचना एवं अनुपालनार्थ सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव तथा अवर सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सहायक
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
8. अवर सचिव (के.का.)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
9. प्रधान, यूआरडीआईपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/आरडीपीडी/टीएनबीडी/इस्टैड्स
10. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आरएबी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
12. डॉ. आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर), पोस्ट बॉक्स नं.80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
13. प्रधान, आईटी डिवीजन - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।